

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1042 /2021


दिनांक 06.05.2021

श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 15.03.2021 से 18.03.2021 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.03.2021 से 14.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 19.03.2021 से 01.04.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.04.2021 व 04.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों एवं 03.04.2021 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 05.05.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/1996/2967

दिनांक 06.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 15 दिनांक 05.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार